

फर्द अहकाम

बुधवार 4/11/2023 बनाम नाथू खाल 4/11

नाम न्यायालय 500 भाद्रप

केस संख्या 101/2023

57045

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरुद्ध रूप से	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही
	3/11/23	अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक अ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य... को पेश हो। पत्रवाली गत आदेशानुसार दि. 3/11/23 को पेश हो।	21/5/26 काठार
	5/11/23	अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक अ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य... को पेश हो। पत्रवाली गत आदेशानुसार दि. 5/11/23 को पेश हो।	
	23/11/26	अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक अ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य... को पेश हो। पत्रवाली गत आदेशानुसार दि. 23/11/26 को पेश हो।	
	23/12/24	अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक अ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य... को पेश हो। पत्रवाली गत आदेशानुसार दि. 23/12/24 को पेश हो।	
	13/3/26	अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक अ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य... को पेश हो। पत्रवाली गत आदेशानुसार दि. 13/3/26 को पेश हो।	
	21/5/26	पत्रवाली पेशा दुकी वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील उभयपक्ष द्वारा जो पेशा हुआ निवेदाज्ञा पर बहस की गयी। बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष की बहस पर मुनन किया गया। पत्रवाली का बहस सुना गया। अ. व. लो. कन उपरान्त आदिर होता है कि	

मि. क. जि. (अ. व. लो. कन) - काठी 15/5/26

Handwritten signature

फर्द अहकाम

सुभाषचन्द्र भागवतनाम नाथू लाल वर्मा  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या 101/2028

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष  
विवरण

दिनांक  
आज्ञा या  
कार्यवाही

8/5/26  
लगातार

मूल काद बेतकरी का है। मूल वाड के निस्तारण तक  
आपका अस्थायी निविदाका की स्थायी किता आना  
उचित समझते हैं।

कल: इस - भागलम के आदेश दिनांक 10/10/2023  
के द्वारा जारी अस्थायी निविदाका को मूल वाड के  
निस्तारण तक स्थायी किता आकर दोनो पक्षों को  
पाबन्द किता जाता है पञ्चवली के सल शुमार होकर  
नम्बर से कम लेकर मूल वाड के हमफिल रहे।

उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (जयपुर) राज.